संख्या- 15/2017/701/नौ-8-17-02के0पी0ए0(बजट)/2017

प्रेषक,

उमाशंकर सिंह ,
विशेष कार्याधिकारी ,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

**निदेशक,**
नगरीय निकाय निदेशालय,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-8 लखनऊ: दिनांक 17 मार्च, 2017

**विषयः-** वित्तीय वर्ष 2016-17 में " **कान्हा पशु आश्रय योजना**" के अन्तर्गत विभिन्न नागर निकायों को पूर्व में पशु शेल्टर होम्स/कांजी हाउस बनाये जाने हेतु निर्गत की गयी वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष चालू कार्यो हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत विभिन्न नागर निकायों को पूर्व में पशु शेल्टर होम्स/कांजी हाउस बनाये जाने हेतु कान्हा पशु आश्रय योजनान्तर्गत विभिन्न शासनादेशों द्वारा सम्बन्धित नागर निकायों द्वारा प्रस्तुत कार्य योजनाओं के आधार पर, सम्बन्धित कार्यो हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि पूर्व में स्वीकृत की गयी थी, जिसके सापेक्ष सम्बन्धित निकायों द्वारा " **कान्हा पशु आश्रय योजना**" के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत धनराशि का उपयोग करते हुए अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। अतः " **कान्हा पशु आश्रय योजना**" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में निर्गत विभिन्न शासनादेशों में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत निम्नलिखित 03 नागर निकायों को उनके नाम के सम्मुख अंकित धनराशि चालू कार्यो हेतु अवमुक्त करते हुए कुल धनराशि रूपये 133.00 लाख (रूपये एक करोड़ तैंतीस लाख मात्र) की धनराशि स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख रूपये में)

| क्रमांक | निकाय/जनपद का नाम | शासनादेश संख्या एवं दिनांक | प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि | पूर्व में निर्गत वित्तीय स्वीकृति की धनराशि | स्वीकृत धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | नगर पालिका परिषद खलीलाबाद, जनपद संतकबीरनगर। | संख्या-54/2016/1841/नौ-8-16-01के0पी0ए0 (बजट)/2016 दिनांक 16 अगस्त , 2016 | 311.25 | 155.00 | 50.00 |
| 2 | नगर पंचायत मटौंध, जनपद- बांदा। | संख्या-157/2016/3312/नौ-8-16-01के0पी0ए0 (बजट)/16 दिनांक 29 नवम्बर, 2016 | 370.64 | 100.00 | 50.00 |
| 3 | नगर पंचायत सरीला, जनपद- हमीरपुर। | संख्या-157/2016/3312/नौ-8-16-01के0पी0ए0 (बजट)/16 दिनांक 29 नवम्बर, 2016 | 129.50 | 60.00 | 33.00 |
| | | योग | 811.39 | 315.00 | 133.00 |

(रूपये एक करोड़ तैंतीस लाख मात्र)

3. निदेशक नगरीय निकाय उत्तर प्रदेश द्वारा " कान्हा पशु आश्रय योजना" के अन्तर्गत अवमुक्त की गयी धनराशि को योजनान्तर्गत निदेशालय स्तर पर किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये नोडल खाते के माध्यम से निकायों के द्वारा " कान्हा पशु आश्रय योजना " के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये बचत खाते में 07 दिनों के अन्दर धनराशि अन्तरित की जायेगी ।

क्रमशः

4. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक-"2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-800-अन्य व्यय-06-कान्हा पशु आश्रय योजना-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

5. उपर्युक्त नागर निकायों को अवमुक्त की जा रही द्वितीय किश्त की धनराशि की उपयोगिता अवधि दिनांक 31.03.2017 तक के लिए निर्धारित है। अतः उक्त अवधि में द्वितीय किश्त की धनराशि का उपयोग कर निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

6. सम्बन्धित नागर निकायों को " कान्हा पशु आश्रय योजना" के अन्तर्गत पूर्व में जारी की गयी वित्तीय स्वीकृतियों से सम्बन्धित स्तम्भ 03 में उल्लिखित शासनादेशों की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

7. यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

( उमाशंकर सिंह )
विशेष कार्याधिकारी ।

संख्या-15/2017/701(1)/नौ-8-17 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
3. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ ।
6. सम्बन्धित अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 एवं 9/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

( उमाशंकर सिंह )
विशेष कार्याधिकारी ।

ओम